(94)

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता
(बजट अनुभाग)
सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून

संख्या : 74 / प्र0अ0 / सिं0वि0 / बजट / बी–1 / आवंटन / कैम्प

दिनांक : 10 मार्च, 2021

कार्यालय ज्ञाप

शासनादेश संख्या–458 / ।।(2) / 2021–17(06) / 2015 टी0सी0–।।।, दिनांक 10.03.2021 द्वारा जमरानी बॉध बहुद्देशीय परियोजना हेतु Command Area, Cropping Pattern एवं Canal Network आदि के G.I.S. Mapping के कार्य की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुये संस्था का चयन गुणवत्ता एवं लागत पर आधारित चयन (QCBS) प्रक्रिया के माध्यम से कराये जाने की अनुमति तथा पूंजीलेखा मद में अनुदान संख्या–20 राज्य सैक्टर जमरानी बांध परियोजना के अन्तर्गत आवश्यक सुविधाओं के निर्माण / पुनर्निर्माण हेतु वित्तीय वर्ष 2020–21 में ₹ 55.873 लाख (₹ पचपन लाख सत्तासी हजार तीन सौ मात्र) का प्रमुख अभियन्ता के निवर्तन पर रखते हुये आवंटन किया गया है।

अतः उक्त आवंटित धनराशि ₹ 55.873 लाख का मुख्य अभियन्तावार / खण्डवार / मदवार निम्नानुसार आवंटन किया जाता है :–

(धनराशि ₹ लाख में)

क्र. स.	मद का विस्तृत विवरण / कार्य का नाम / मुख्य अभियन्ता / खण्ड का नाम	आवंटित धनराशि
क	20 / 4700–मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय, 80–सामान्य, 001–निदेशन तथा प्रशासन, 04–जमरानी बांध परियोजना हेतु एन0पी0वी0 / भूमि अधिग्रहण हेतु धनराशि, 00–53–वृहद निर्माण (4700–80–001–04–00–53)	
	मुख्य अभियन्ता स्तर–2, हल्द्वानी	
	जमरानी बांध निर्माण खण्ड–2, हल्द्वानी	
1	Command Area, Cropping Pattern एवं Canal Network आदि के G.I.S. Mapping के कार्य।	55.873
	योग जमरानी बांध निर्माण खण्ड–2, हल्द्वानी	55.873
	(₹ पचपन लाख सत्तासी हजार तीन सौ मात्र)	

उपरोक्त आवंटित बजट का उपभोग शासनादेश संख्या–458 / ।।(2) / 2021–17(06) / 2015 टी0सी0–।।।, दिनांक 10.03.2021 में उल्लिखित निम्न शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अन्तर्गत किया जायेगाः–

1. सम्बन्धित धनराशि का व्यय प्रश्नगत योजना के अन्तर्गत किया जायेगा। धनराशि के अन्यत्र विचलन की दशा में सम्बन्धित अधिकारी व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे।
2. धनराशि का आहरण व व्यय वास्तविक आवश्यकता के अनुसार किस्तों में किया जायेगा ।
3. धनराशि व्यय करने के पूर्व सक्षम अधिकारी की आगणन पर तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त करा ली जायेगी ।
4. उक्त व्यय में बजट मैनुअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका, उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2017 के संसंगत प्राविधानों तथा शासन द्वारा मितव्ययता के विषय में समय–समय पर जारी किये गये आदेशों एवं निर्देशों का पूर्ण रुप से पालन किया जाय।
5. जहॉ आवश्यक हो कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व भूगर्भ वैज्ञानिक से उपयुक्तता के सम्बन्ध में आख्या प्राप्त कर ली जाय ।
6. कार्य की समयवद्धता एवं गुणवत्ता हेतु सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे ।